आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

मांग संख्या 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1109.06	3.08	1112.14	1323.20	3.00	1326.20	1304.36	3.00	1307.36	1425.35	3.30	1428.65
वसूलियां	*-36.80*	...	-36.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1072.26**	**3.08**	**1075.34**	**1323.20**	**3.00**	**1326.20**	**1304.36**	**3.00**	**1307.36**	**1425.35**	**3.30**	**1428.65**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.71	...	17.71	23.50	...	23.50	23.90	...	23.90	25.00	...	25.00
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	57.23	...	57.23	70.00	...	70.00	57.10	...	57.10	71.00	...	71.00
3. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.34	...	2.34	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
4. सीजीएचएस में आयुष विस्तार	0.92	...	0.92	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...
5. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.37	...	2.37	4.50	0.30	4.80	3.42	0.30	3.72	3.70	0.30	4.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**80.57**	**...**	**80.57**	**103.50**	**0.30**	**103.80**	**89.92**	**0.30**	**90.22**	**103.70**	**0.30**	**104.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण												
6. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में लगे हुए गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों में सहायता	11.74	...	11.74	19.00	...	19.00	2.78	...	2.78	4.00	...	4.00
7. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2.95	...	2.95	12.00	...	12.00	4.66	...	4.66	5.76	...	5.76
8. आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	1.00	...	1.00
9. आयुष सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों, अनुप्रयोगों और नेटवर्कों का विकास	...	...	...	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30	...	...	...
10. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	8.41	...	8.41	12.00	...	12.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
11. सीसीआईएम निर्वाचन कराने हेतु अनुदान	0.05	...	0.05	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	...	...	...
12. होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति	0.14	...	0.14	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.50	...	0.50
13. मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.50	...	2.50
14. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)	27.70	...	27.70	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00	34.00	...	34.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	...	...	...	11.00	...	11.00	14.00	...	14.00	13.00	...	13.00
16. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	...	...	...	0.25	...	0.25	...	...	...	1.00	...	1.00
17. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
18. टीकेडीएल और आईएसएमएच बौद्धिक संपदा अधिकार	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
19. पुलिस कार्मिकों के लिए योग प्रशिक्षण	4.95	...	4.95	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
20. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	5.83	...	5.83	8.00	...	8.00	4.20	...	4.20	5.00	...	5.00
21. आयुष के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति प्रैक्टिस में लगे गैर-सरकारी संगठनों का निधियन	0.40	...	0.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठी /कार्यशाला	6.97	...	6.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण	**71.64**	**...**	**71.64**	**103.95**	**...**	**103.95**	**68.19**	**...**	**68.19**	**68.86**	**...**	**68.86**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**71.64**	**...**	**71.64**	**103.95**	**...**	**103.95**	**68.19**	**...**	**68.19**	**68.86**	**...**	**68.86**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
23. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	3.48	...	3.48	3.75	...	3.75	7.52	...	7.52	3.85	...	3.85
24. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	2.50	...	2.50	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70	4.14	...	4.14
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**5.98**	**...**	**5.98**	**7.45**	**...**	**7.45**	**11.22**	**...**	**11.22**	**7.99**	**...**	**7.99**
स्वायत्त निकाय												
25. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	2.49	...	2.49	40.00	...	40.00	26.00	...	26.00	24.00	...	24.00
26. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	173.00	...	173.00	170.00	...	170.00	159.00	...	159.00	175.00	...	175.00
27. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	83.00	...	83.00	91.00	...	91.00	81.50	...	81.50	95.50	...	95.50
28. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	92.42	...	92.42	120.00	...	120.00	118.00	...	118.00	123.00	...	123.00
29. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	28.50	...	28.50	37.50	...	37.50	35.17	...	35.17	37.50	...	37.50
30. अन्य स्वायत्त निकाय	240.45	...	240.45	249.80	...	249.80	315.36	...	315.36	349.30	...	349.30
जोड़-स्वायत्त निकाय	**619.86**	**...**	**619.86**	**708.30**	**...**	**708.30**	**735.03**	**...**	**735.03**	**804.30**	**...**	**804.30**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
31. आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश	...	3.08	3.08	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	3.00	3.00
अन्य												
32. वास्तविक वसूलियां	-36.80	...	-36.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**589.04**	**3.08**	**592.12**	**715.75**	**2.70**	**718.45**	**746.25**	**2.70**	**748.95**	**812.29**	**3.00**	**815.29**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
33. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	331.01	...	331.01	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	440.50	...	440.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	*1072.26*	*3.08*	*1075.34*	*1323.20*	*3.00*	*1326.20*	*1304.36*	*3.00*	*1307.36*	*1425.35*	*3.30*	*1428.65*
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	726.95	...	726.95	860.30	...	860.30	841.16	...	841.16	914.85	...	914.85
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	17.71	...	17.71	23.50	...	23.50	23.90	...	23.90	25.00	...	25.00
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	3.08	3.08	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.30	3.30
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**744.66**	**3.08**	**747.74**	**883.80**	**3.00**	**886.80**	**865.06**	**3.00**	**868.06**	**939.85**	**3.30**	**943.15**
सामान्य सेवाएं												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	105.00	...	105.00	103.00	...	103.00	143.00	...	143.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	320.22	...	320.22	328.40	...	328.40	334.60	...	334.60	332.50	...	332.50
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	7.38	...	7.38	6.00	...	6.00	1.70	...	1.70	10.00	...	10.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**327.60**	**...**	**327.60**	**439.40**	**...**	**439.40**	**439.30**	**...**	**439.30**	**485.50**	**...**	**485.50**
कुल जोड़	1072.26	3.08	1075.34	1323.20	3.00	1326.20	1304.36	3.00	1307.36	1425.35	3.30	1428.65

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वास्तत गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्वा-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के नजरिए से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीमें चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलु खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्यीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्योपैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्थान पर स्वदेशी औषधों का पता लगाना।

4. **सीजीएचएस में आयुष विस्तार:** सीजीएचएस लाभार्थियों को आयुष सेवाएं प्रदान करना।

5. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्तायुक्त नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्तायुक्त नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

6. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में लगे हुए गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों में सहायता:** ख्याति प्राप्त आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्नयन उत्कृष्टता स्तर तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

7. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

8. **आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वाधर संरचना सृजित करना।

9. **आयुष सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों, अनुप्रयोगों और नेटवर्कों का विकास:** आयुष के अधिकतर प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

10. **आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास:** इस स्कीम का उद्देश्य परिष्कृत उत्पाद की कच्ची सामग्री के मानकीकरण और गुणवत्तायुक्त नियंत्रण हेतु उन स्थानों पर सुविधाएं स्थापित करना है, जहां आयुष उद्योगों के समूह हैं।

11. **सीसीआईएम निर्वाचन कराने हेतु अनुदान:** राज्यों में उपलब्ध चिकित्साभ्यासियों में से ही केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना।

12. **होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति:** एचपीएल, पीएलआईएम और पीसीआईएम एंड एच प्रयोगशालाओं के प्रशासन और वित्तीय मामलों का समन्वय करना।

13. **मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन:** आयुष उत्पादों की उपलब्धता, मांग, उपयोग और व्यापार में सुधार करना।

14. **सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी):** 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागृति उत्पन्न करना।

15. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को प्रोत्साहन देना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थापना करना।

16. **एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए संस्थानिक तंत्र विकसित करना।

17. **आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्यावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।

18. **टीकेडीएल और आईएसएमएच बौद्धिक संपदा अधिकार:** विभिन्न एएसयू पुस्तकों में वर्णित एएसयू औषध योगों, योग मुद्राओं का अनुलेखन करना और अंतर्राष्ट्रीय एकस्व परीक्षकों को सूचना उपलब्ध कराना।(ii) अंतर्राष्ट्रीय एकस्वन कार्यालयों को टीकेडीएल डाटाबेस उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय एकस्वर कार्यालयों के साथ करार करना।

19. **पुलिस कार्मिकों के लिए योग प्रशिक्षण:** पुलिस कार्मिकों के सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पुलिस कार्मिकों को योग प्रशिक्षण प्रदान करना।

20. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** अग्रतादत्ति बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टिकोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।

21. **आयुष के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति प्रैक्टिस में लगे गैर-सरकारी संगठनों का निधियन:** यह स्कीम समाप्त कर दी गई है।

22. **आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठी /कार्यशाला:** इस स्कीम को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन में विलय कर दिया गया है।

23. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योपैथी के केंद्रीय पंजीकरण का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्यता को शामिल करने के लिए प्रत्योक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा 12क के संदर्भ में नए कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।

24. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके भाचिप कॉलेजों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्यताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना (iii) भारतीय चिकित्सा की योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना (iv) चिकित्सा अभ्यासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीति संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्साभ्यासियों को नामांकन/प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

25. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रींय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं पोस्टर-डॉक्टरल शिक्षा (एमडी/पीएचडी) के बैंचमार्क स्थापित करना।

26. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषज संहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन।

27. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा -नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषजविज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

28. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

29. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी एवं आईपीडी में रोगी परिचर्या प्रदान करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करना।

30. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें (i) अखिल भारतीय योग संस्थाiन (ii) अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान(iii) अखिल भारतीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (iv) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर (v) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर(vi)राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली (vii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई (viii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बंगलौर(ix) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली (x) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (xi) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग(xii)

पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम), पासीघाट, अरूणाचल प्रदेश (xiii) राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (xiv) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा् संस्थान और (xiv) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए प्रावधान शामिल हैं।

31. **आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश:** इसमें आईएमपीसीएल, मोहान उत्तरप्रदेश शामिल है। यह सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में आपूर्ति करने के लिए एएसयू औषधों का उत्पादन करता है।

33. **राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम):** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से वैश्विक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध कराना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, औषधि परीक्षण का उन्नयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तायुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।